प्रपत्र-III

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, , वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, वेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 07/01/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-17/2024 ...47........ प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 द्वारा **खैरा पैक्स, प्रखंड- सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर** के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 2067 दिनांक 20.11.2024 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन स्थगन के पूर्व नामांकन, संवीक्षा, की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी।

अत: उक्त आलोक में **खैरा पैक्स** के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-1871 दिनांक 18.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित सूचना का प्रकाशन	08.01.2025 (बुधवार)
(ii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	13.01.2025 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	मतदान, अगर आवश्यक हो	20.01.2025 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतगणना	20.01.2025 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(v)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	22.01.2025 (बुधवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **खैरा पैक्स** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), सरैया निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. **मतदान केन्द्र पैक्स गोदाम/ कार्यालय से अलग किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 2232 दिनांक 12.12.2024 में दिये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।**

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एंव मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 के परिशिष्ट-1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक **22.01.2025** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ **122-129** पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या– 1871 दिनांक 18.10.2024 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 47 पटना/ दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 47 पटना/ दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), मुजफ्फरपुर/ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/ उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰), मुजफ्फरपुर/ वरीय अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), सरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 47 पटना/ दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 47 पटना/ दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 47 पटना/ दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा–2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।